राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2715551 E-mail: csr.edu.raj@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प / जय / csr / 2019 / विविध / 10426 दिनांक : 09 / 01 / 2019

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषयः शाला दर्पण पर विद्यालयों द्वारा नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल को लॉक व वेरिफिकेशन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालयों द्वारा नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉडयूल में सूचनाएं भरी जा रही है। इसका उपयोग ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से भामाशाह / दानदाताओं /आमजन को विद्यालयों में आवश्यक संसाधनो/अन्य आवश्यकताओं को दर्शाने में किया जावेगा। इस हेतु इनकी एक प्रकिया निर्धारित की गई जिसके अनुसार विद्यालयों को नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉडयूल आवश्यक पूर्ति करवाकर राउमावि/मावि की स्थिति स्वयं द्वारा तथा प्रावि/उप्रावि की स्थिति में सम्बन्धित सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लॉक किया जावेगा। लॉक करने के बाद सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित होने के बाद विद्यालयवार वेरिफिकेशन करवाना तथा सही होने की स्थिति में सत्यापन करवाकर लॉक करना है। इसके उपरान्त ही विद्यालयवार आवश्यकताऐं गणना कर ज्ञान संकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित किया जावेगा। इस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी पत्र के साथ संलग्न है।

अतः सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ ब्लॉक कार्यालयों व विद्यालयों को निर्देशित कर लॉक व वेरिफिकेशन का कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को निर्देशित करे की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किये गये विद्यालयों की सूचनाओं को Randomly जांच करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(सुरेश चन्द्र)
अति.राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान।
6. उपायुक्त प्रथम/द्वितीय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
7. उपनिदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ जयपुर।
8. उपनिदेशक, सीएसआर प्रकोष्ठ जयपुर।
9. उपनिदेशक, सीएसआर प्रकोष्ठ जयपुर ।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
12. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

RCSE

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2715551 E-mail: csr.edu.raj@gmail.com

शाला दर्पण पर नवीन इन्फ्रास्ट्रचर मॉड्यूल में विद्यालय द्वारा प्रविष्टि, लॉक करने तथा मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित करने हेतु दिशा–निर्देश

1- सर्वप्रथम विद्यालय लॉगिन कर स्कूल टैब के स्कूल पार्ट में उपलब्ध Infrastructure Enry लिंक द्वारा इन्फ्रास्ट्रचर एंट्री पेज ओपन करें।

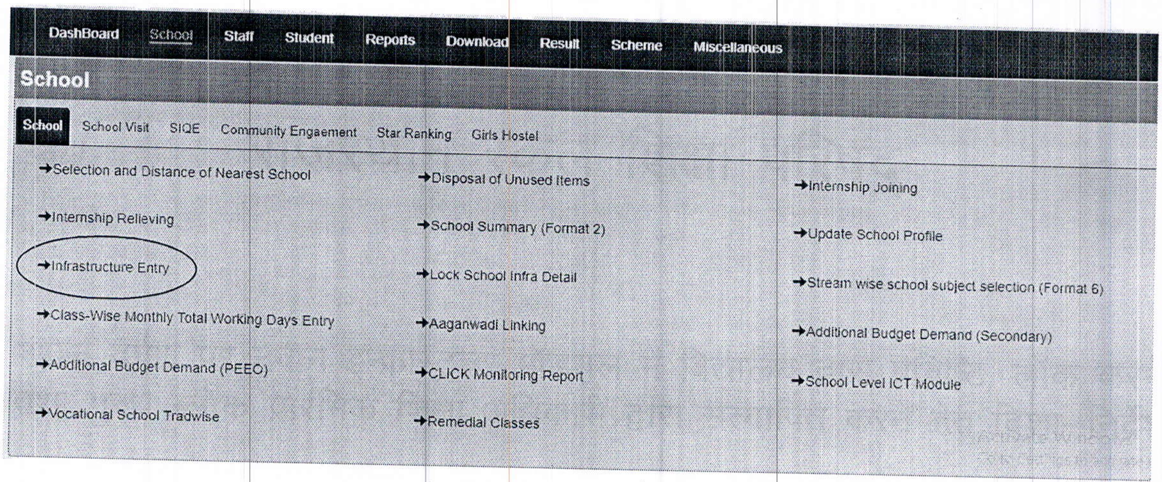

2- विद्यालय इन्फ्रास्ट्रचर एंट्री पेज पर उपलब्ध विभिन्न 16 टैब द्वारा विद्यालय से संसाधन सम्बन्धित प्रविष्टियां पूर्ण करें। इससे सम्बन्धित गाइडलाईन पूर्व में जारी किये जा चुकी है।

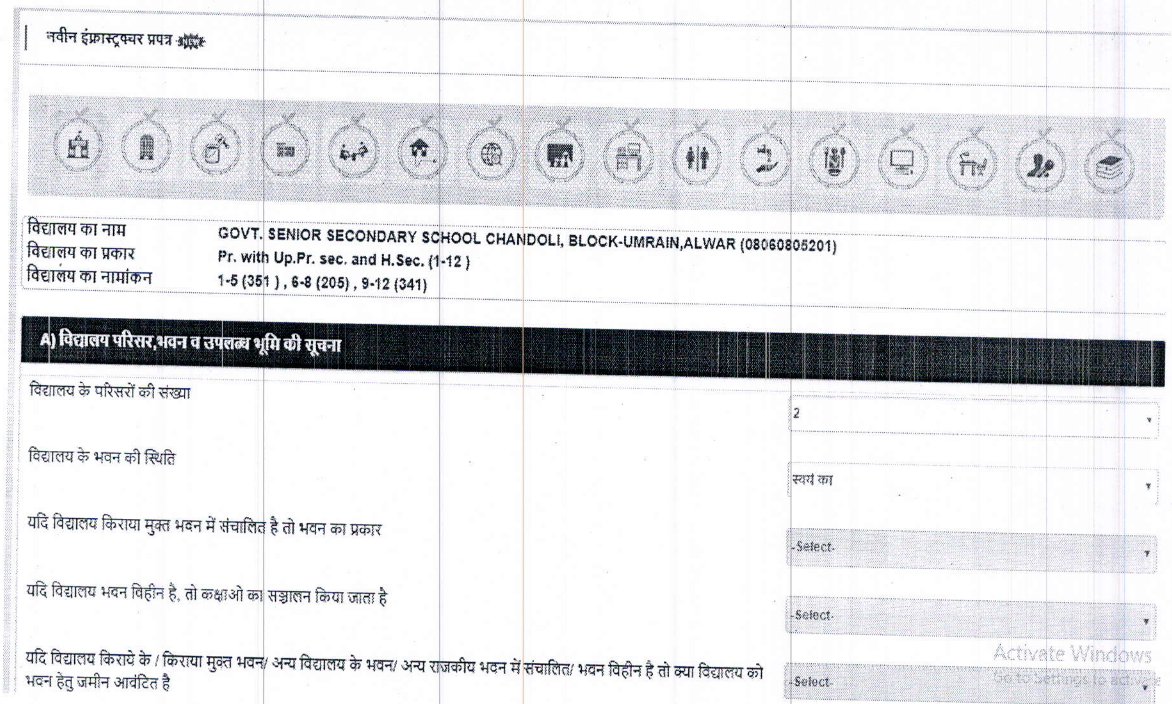

3- स्कूल टैब के स्कूल पार्ट में उपलब्ध Lock School Infra Detail लिंक द्वारा विद्यालय इन्फ्रास्ट्रचर एंट्री पेज पर की समस्त प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लें।

www.rajteachers.com

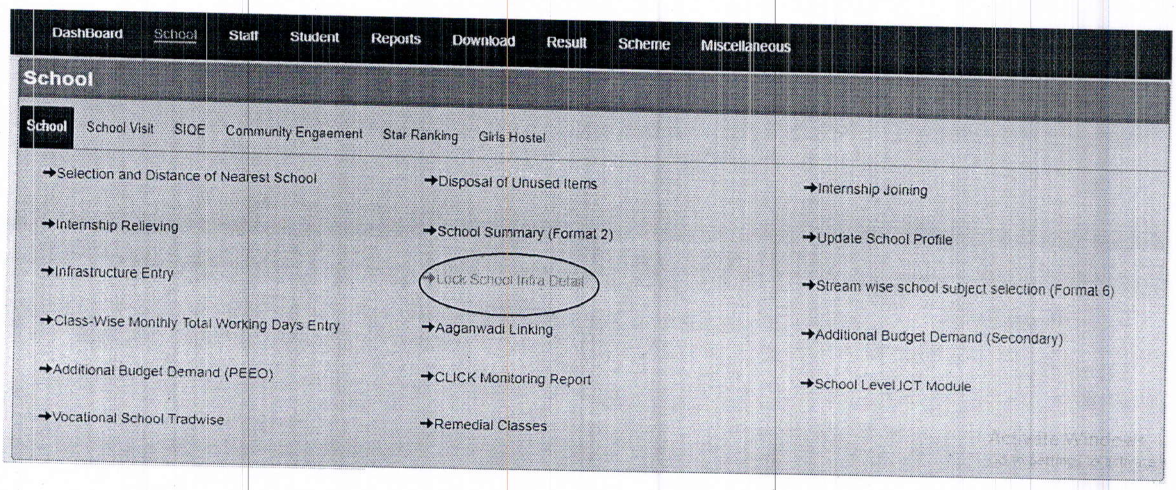

4- संस्था प्रधान स्वयं समस्त प्रविष्टियों की व्यक्तिशः जांच करें तथा आवश्यकतानुसार इन्फ्रास्ट्रचर एंट्री पेज द्वारा अद्यतन करावे।

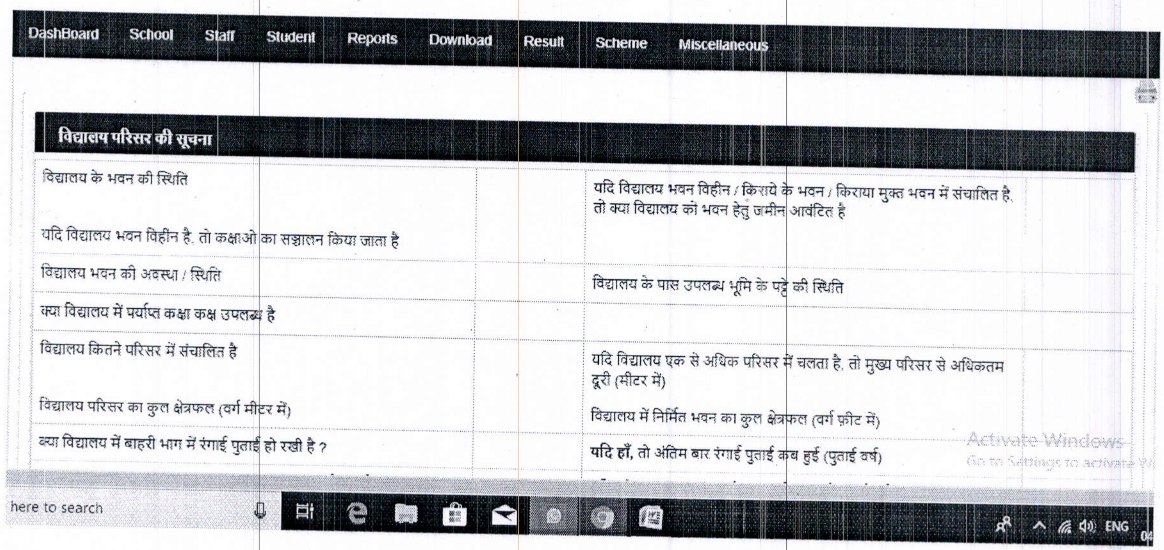

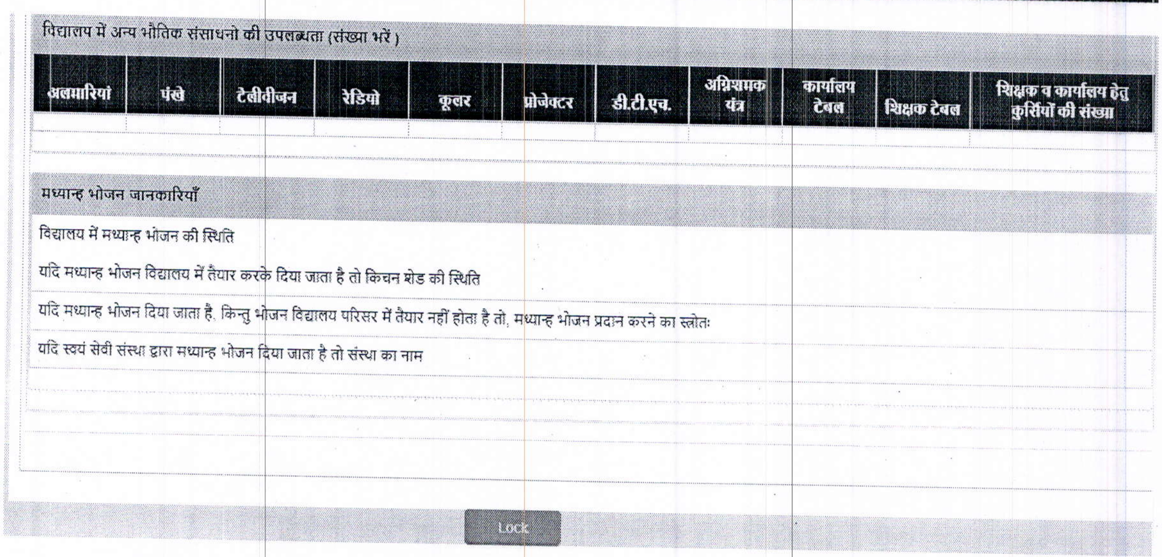

5- संस्था प्रधान द्वारा समस्त प्रविष्टियों सही पाये जाने पर Lock School Infra Detail लिंक द्वारा पेज ओपन कर पेज के अंत में उपलब्ध लॉक बटन द्वारा इन्फ्रास्ट्रचर एंट्री पेज को लॉक करें।

6- विद्यालय द्वारा लॉक करने पर विद्यालय इन्फ्रास्ट्रचर एंट्री पेज के द्वारा किसी भी एंट्री अपडेट नहीं कर सकेगा। अतः लॉक करने से पूर्व समस्त संस्था प्रधान सभी प्रविष्टियां की जांच कर लॉक करें।

www.rajteachers.com

7- विद्यालय द्वारा लॉक करने के पश्चात मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने लॉगिन पर स्कूल टैब में उपलब्ध Verify School Infra Detail लिंक पर क्लिक कर विद्यालयों द्वारा लॉक की प्रविष्टियों की प्रगति प्राप्त कर सकते है।

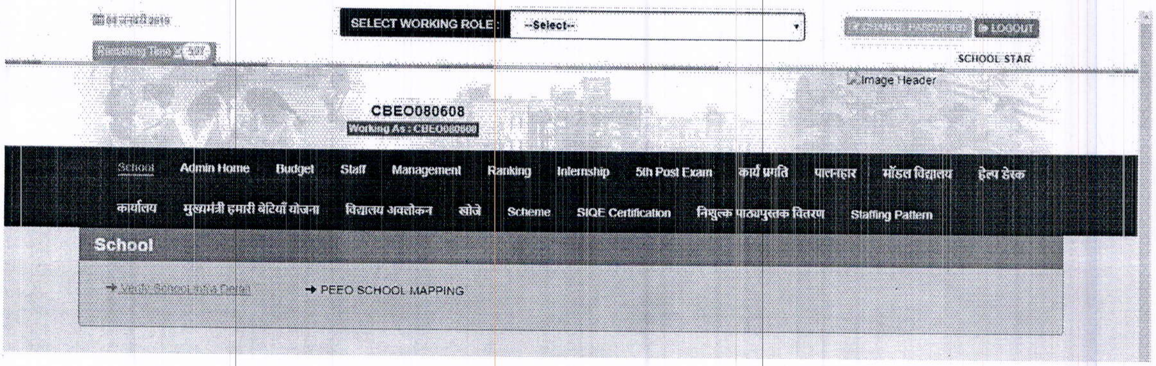

8- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी Verify School Infra Detail पेज कुल विद्यालय, कुल सत्यापित, असत्यापित तथा विद्यालय जिन्होंने लॉक नहीं कया है की संख्या प्राप्त होगी तथा जिन विद्यालयों ने इन्फ्रास्ट्रचर एंट्री पेज लॉक कर दिया, की सूची प्राप्त होगी।

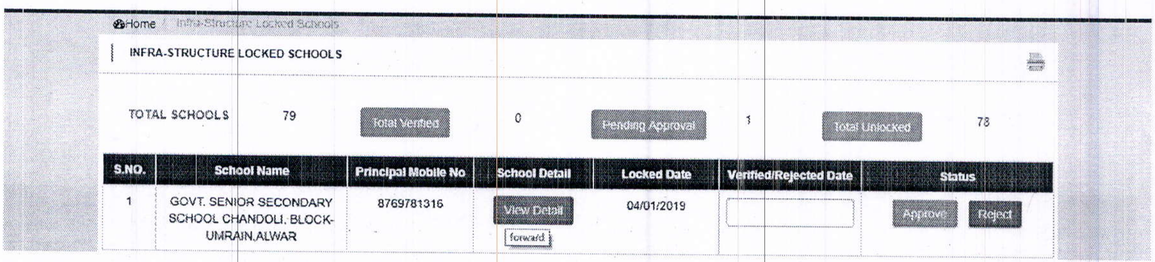

9- मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बिन्दु संख्या–8 के अनुसार पेज पर दिखाई जाने वाली विद्यालय सूची में प्रत्येक विद्यालय के सम्मुख School Detail लिंक द्वारा विद्यालय द्वारा दिखाई गई प्रविष्टियों की प्रिंट आउट प्राप्त करेंगे तथा विद्यालयवार इसे ऑफलाईन विद्यालय के लॉक दिवस से 15 दिवस में सत्यापित करवायेंगे।

10- मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रविष्टियां सही नहीं पाये जाने की स्थिति में Reject लिंक द्वारा विद्यालयों को प्रविष्टियां सही करवाने हेतु अनलॉक करेंगे।

11- Rejection की स्थिति में विद्यालय द्वारा बिन्दु संख्या 2 से 6 के अनुसार प्रविष्टियां अद्यतन कर पुनः लॉक की प्रक्रिया संधारित करेंगे जिससे मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर विद्यालय पुनः सत्यापन हेतु दिखाई देने लग जावेगा।

12- मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रविष्टियां सही पाये जाने की स्थिति में विद्यालय के सामने दिनांक प्रविष्ट कर Approve लिंक द्वारा सत्यापित कर राज्य कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

13- एक बार Approve लिंक द्वारा सत्यापित करने पर सीबीईओ/विद्यालय द्वारा किसी प्रकार का अद्यतन नहीं किया जा सकेगा।

14- मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रेषित प्रविष्टियों के आधार पर गणना कर विद्यालय में नामांकन तथा पूर्व में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विभिन्न संसाधनों हेतु आवश्यकताऐं प्राप्त की जावेगी तथा आमजन को प्रदर्शित की जावेगी। अतः सभी मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सभी विद्यालयों की प्रविष्टियां पूर्णतया जांच कर अग्रेषित करें।

15- समस्त जिले/राज्य कार्यालय सम्बन्धित रिपोर्ट शाला दर्पण पर अपने लॉगिन से प्राप्त कर सकेंगे।

www.rajteachers.com